न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बेरमो (तेनुघाट)
छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(क)/(ख) के अंतर्गत
परमिशन वाद संख्या 96 वर्ष 2023

आवेदिका–पानी देवी
ग्राम – पोंडा टोला बीरगोडा
थाना – कसमार जिला–बोकारो

क्रेता– अंजति देवी
ग्राम– पोंडा
थाना –कसमार जिला– बोकारो

आदेश की क्र0 सं0 एवं तारीख 01	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ। 03
21/11/23	(नीचे देखें)	C.C. Issued 04/01/24

आदेश

यह वाद आवेदिका पानी देवी पति स्व0 बानेश्वर मॉझी निवासी ग्राम पोंडा टोला बीरगोडा थाना कसमार जिला –बोकारो द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(क))/(ख) के अंतर्गत निम्नांकित जमीन, विवरण निम्नवत:–

मौजा	थाना न0	खाता न0	प्लॉट न0	कुल रकबा	बिक्री रकबा	भूमि दर्जा
पोंडा	74	44	1279	148 डी0	10 डी0	कृषि योग्य

को वे अपनी घरेलु कार्य हेतु मो0 65,000/– (पैंसठ हजार) रूपये में क्रेता– अंजति देवी पति मोहन हॉसदा ग्राम पोंडा थाना –कसमार जिला– बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति हेतु समर्पित आवेदन के आधार पर आरम्भ किया गया तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(क) के तहत आवेदन पत्र को पंजीकृत करते हुए आम सूचना निर्गत की गई, तथा इस कार्यालय के पत्रांक 1204 रा0 दिनांक 04.10.2023 के माध्यम से अंचल अधिकारी, कसमार से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई।

निर्धारित अवधि तक किसी के द्वारा प्रस्तावित भूमि की अनुमति प्रस्ताव के विरूद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रस्तावित भूमि की बिक्री की अनुमति के संबंध में अंचल अधिकारी, कसमार के पत्रांक 536 दिनांक 30.10.2023 से वांछित जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि:–

01. बिक्रेता एवं क्रेता दोनो संथाल जाति के सदस्य हैं जो अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं। बिक्रेता ग्राम पोंडा टोला बीरगोडा एवं केता ग्राम पोंडा एवं दोनो थाना–कसमार जिला–बोकारो का निवासी है।
02. बिक्री की जाने वाली भूमि सर्वे खतियान में राम मॉझी व अनुपा मॉझी के नाम से दर्ज है तथा जमाबन्दी बिकेता के दादा ससुर राम मॉझी वगैरह के नाम से पंजी–II के पृष्ठ सं0 165/2 में दर्ज है एवं लगान रसीद वर्ष 2022–23 तक निर्गत है। बिकेता को यह भूमि आपसी बॅटवारा द्वारा हासिल है।
03. जमाबंदीधारी रैयत से बिकेता के दादा ससुर का संबंध है। बिकी वाली भूमि बिकेता के हक व हिस्से के अन्तर्गत आता है जिसपर बिकेता का दखल कब्जा है।
04. प्रस्तावित भूमि भू हदबन्दी, भूदान, सैरात, वन भूमि, सी0सी0एल0 अधिग्रहित क्षेत्र, से बाहर है।

उनके द्वारा बिक्रेता को प्रस्तावित भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन को अग्रसारित किया गया है।

दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। दोनों पक्षों का ब्यान दर्ज किया गया। बिक्रेता द्वारा अपने ब्यान में बतलाया गया है कि आवेदनांकित जमीन राम मॉझी व अनुपा मॉझी के नाम सर्वे खतियान में दर्ज है

तथा जमाबन्दी राम मॉझी वगैरह के नाम से चल रही है बिक्री वाली जमीन उसके हिस्से की है जिसे वे आवश्यकता वश बेच रहे हैं।

क्रेता का कहना है कि उन्होंने प्रस्तावित जमीन को देखी है। उक्त जमीन में कोई विवाद नहीं है, तथा वर्तमान में आवेदक के शान्ति पूर्ण दखल कब्जे में है।

उभय पक्ष अपने पक्ष में निम्नांकित कागजात/दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं:—

01. विक्रेता— राम मॉझी व अनुपा मॉझी वगैरह के नाम सर्वे खतियान की छायाप्रति तथा राम मॉझी वगैरह के नाम लगान रसीद की छायाप्रति, आवासीय प्रमाण पत्र की छायाप्रति, जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति।

02. क्रेता— आवासीय प्रमाण पत्र की छायाप्रति, जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति ।

दोनों पक्षों का ब्यान सुनने, उनके द्वारा समर्पित कागजातों एवं अंचल अधिकारी कसमार से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि बिक्रेता एवं क्रेता दोनों संथाल जाति के सदस्य हैं जो अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं तथा वे दोनों एक ही ग्राम, थाना एवं जिलान्तर्गत निवासी हैं। आवेदित भूमि बिक्रेता के हिस्से की खतियानी जमीन है, जिसे वे आवश्यकता वश बेचना चाहते हैं।

अतः आवेदिका पानी देवी पति स्व0 बानेश्वर मॉझी निवासी ग्राम पोंडा टोला बीरगोडा थाना कसमार जिला—बोकारो को निम्नांकित भूमि :—

मौजा	खाता न0	प्लॉट न 0	कुल रकबा	बिकी रकबा	उत्तर सीमा	दक्षिण सीमा	पूरब सीमा	पश्चिम सीमा
पोंडा 74	44	1279	148 डी0	10 डी0	माहे मॉझी वगैरह	नीज लेख्यकारिणी	रास्ता	माहे मॉझी वगैरह

10 (दस) डिसमिल जमीन मात्र।

मो0 65,000/— (पैंसठ हजार) या जिला अवर निबंधक बोकारो द्वारा निर्धारित नवीनतम भूमि मूल्यांकित राशि में जो अधिक हो, की दर से क्रेता— अंजति देवी पति मोहन हॉसदा ग्राम पोंडा थाना —कसमार जिला—बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

इसके साथ ही इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इस आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावें।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
बेरमो (तेनुघाट)।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
बेरमो (तेनुघाट)।

Digitally signed by SADANAND MAHTO
Date: 2024.08.28 12:37:03 +05:30
Location: 192.168.1.2